

पत्र संख्या-सामान्य वेतन निर्धारण- आन्तरिक सम्परीक्षा अनुभाग- 2024-2025/1019/ राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

(आन्तरिक सम्परीक्षा अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक :: 13 फरवरी, 2025

1. समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2. अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,  
राज्य कर गोमती नगर लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2025/वे०आ०-2-77/दस-2025-ई०प०क०सं०-1846680 दिनांक 10-02-2025 (प्रति संलग्न) द्वारा " त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान की वसूली आ रही कठिनाइयों के निवारण हेतु विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान हेतु दिशा निर्देश " जारी किये गये हैं ।

उपर्युक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों/नियमों व व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन कराने के साथ शासनादेश के बिन्दु संख्या-07 के पैरा (i) से (v) तक निहित कार्यवाही के अन्तर्गत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवापुस्तिका में सहमति पत्र की प्रति चस्पा कराकर कृत कार्यवाही से यथाशीघ्र अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

ह०/-

(डा० नितिन बंसल)

आयुक्त

राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

#### पृ०प०सं०वदिनांकउक्त-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
2. अपर आयुक्त (प्रशासन)राज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3. समस्त कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में कार्मिक की सेवापुस्तिका में सहमति पत्र चस्पा किये जाने का प्रमाण पत्र 15 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।
4. संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु ।
5. समस्त वरिष्ठ लेखापरीक्षक राज्य कर उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त शासनादेश के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कार्मिक की सेवापुस्तिका में सहमति पत्र के चस्पा का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करें ।

(महा मिलिन्द लाल)

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या-2/2025/वे0आ0-2-77/दस-2025-ई0प0क0सं0-1846680

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 10 फरवरी, 2025

विषय: त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान की वसूली में आ रही कठिनाइयों के निवारण हेतु विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

अवगत हैं कि राज्य सरकार के कार्यालयों/संस्थाओं/प्रतिष्ठानों में नियुक्त होने एवं उसके उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० एवं अन्य लाभ प्राप्त होने पर सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारित किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन की स्थिति में भी सम्बन्धित कार्मिक/याची का वेतन निर्धारित/पुनर्निधारित किये जाने की आवश्यकता होती है।

2- शासन द्वारा विभिन्न विभागों में लेखा संवर्ग की स्थापना का मूल उद्देश्य यह है कि प्रारम्भिक स्तर पर वित्तीय एवं लेखा सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन एवं परीक्षण इस प्रकार हो कि वित्तीय अनियमितताओं/शासकीय धनराशि की क्षति की सम्भावना नगण्य रहे। वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं विभिन्न शासनादेशों में विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों एवं लेखा संवर्ग के अधिकारियों को वित्तीय प्रकरणों में कुशलतापूर्वक अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 अध्याय-XVIII-A के नियम-397, 398 एवं 399 में निम्नवत प्राविधान हैं :-

397. All officers and servants are expected to observe account rules, etc. properly in the course of performance of their duties, as may be necessary. The officers vested with any financial powers are particularly required to ensure that the powers are exercised with due care keeping in view the standards of financial propriety and orders issued by Government from time to time.

398. To assist the Heads of Department and Heads of Offices in proper discharge of their duties relating to budget, expenditure control, accounts maintenance, scrutiny of claims, etc., Accounts Organizations have been established in most of the departments, headed by a Finance and Accounts Officer or a Senior Finance and Accounts Officer or a Chief Finance and Accounts Officer. The duties and responsibilities of these officers have been

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

laid down in the form of Government Orders issued from time to time. The existing orders have been reproduced in the Annexure to this Chapter.

399- The Heads of Departments will ensure that the Accounts Organization in their departments are utilized fully on the duties assigned to them under orders of Government issued from time to time, in particular the following :—

(iv) Internal audit and inspection of the accounts of the various offices and establishments of the Department including the office of the Head of the Department.

(vii) Establishment matters requiring application of Fundamental and Subsidiary rules, travelling allowance rules, pension rules and other rules relating to retirement benefits.

उक्त नियमों की व्यवस्था के आलोक में आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-आ०ले०प०-4765/6923/ले०/ले०प० संवर्ग/का० एवं दा०/2020, दिनांक 21.01.2021 द्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य करने वाले लेखा परीक्षक एवं ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के कार्य एवं दायित्व के अन्तर्गत वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतनवृद्धि, समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० तथा अन्य लाभ से सम्बन्धित प्रकरणों का परीक्षण भी सम्मिलित है।

3- वित्तीय नियमों, शासनादेशों तथा विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाओं के बावजूद यदि किसी कार्मिक के वेतन निर्धारण में त्रुटि होने के कुछ समय पश्चात उक्त त्रुटि को संज्ञान में लाया जाता है तो उक्त वेतन निर्धारण में हुई त्रुटियों के परिणामस्वरूप कार्मिक को अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली/समायोजन में अनेक बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है।

4- ऐसे ही प्रकरण में, State of Punjab & others Vs Rafiq Masih (White washer) & others (2015) 4 SCC 334 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2014 एवं मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा State of Punjab and Hariyana and others Vs. Jagdev Singh 14 SCC 267 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2016 द्वारा कार्मिकों के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली न किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं।

5- मा० उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में वित्त विभाग के पत्र संख्या-60/2016-वे०आ०-2-1375/दस-2016, दिनांक 21.11.2016 तथा गृह (पुलिस) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1/452722/2023, दिनांक 20.12.2023 के माध्यम से यह निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि कार्मिकों के वेतन निर्धारण/देयों के आगणन में विशेष सावधानी अपनायी जाय तथा उनके भुगतान से पूर्व सम्बन्धित कार्मिक से इस आशय की सहमति/अण्डरटेकिंग आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाय कि यदि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन के फलस्वरूप देयता से अधिक भुगतान हो जाता है तो वे उसका समायोजन/वसूली करायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश के साथ इस आशय का सहमति-पत्र का प्रारूप भी संलग्न किया गया था कि समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 अथवा अन्य किसी लाभ प्राप्त होने पर किये गये वेतन निर्धारण में किसी त्रुटि के कारण अधिक भुगतान हो जाने की स्थिति में उक्त का समायोजन सम्बन्धित कार्मिक को देय धनराशि से किया जायेगा।

उक्त शासनादेश के माध्यम से यह भी निर्देश निर्गत किये गये थे कि कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं देयों के आगणन की जांच उसी वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण करायी जाय और त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/देयों के आगणन की जांच में कदाशयता सिद्ध होने पर सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय तथा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन का लाभ प्राप्त करने वाले कार्मिक से वसूली/समायोजन न हो पाने की दशा में अधिक भुगतान के उत्तरदायी अधिकारी से उक्त धनराशि की वसूली/समायोजन किया जाये।

6- कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 एवं उक्त के परिप्रेक्ष्य में निर्गत विभिन्न प्रकार के स्पष्ट आदेशों के बावजूद शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उक्त निदेशों का अनुपालन सम्बन्धित विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है। परिणामस्वरूप इस प्रकार के प्रकरणों में मा० उच्च न्यायालय के समक्ष शासन को बहुधा असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है जो अत्यन्त आपत्तिजनक है जिसमें से कुछ उद्धरण निम्नवत हैं :-

(i) मा० उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देयता से अधिक हुए भुगतान की वसूली सम्बन्धी निर्गत विभागीय आदेश को चुनौती दिये जाने सम्बन्धी रिट (ए) याचिका संख्या: 10460/2024 राम वृक्ष राम बनाम उ०प्र० राज्य एवं 03 अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत आदेश पारित किया गया है :--

"17. The respondents shall pay to the petitioner costs in the sum of Rs. 20,000/- recoverable from Ashok Kumar Singh, Finance Controller/C.A.O., Police Headquarters, Lucknow and Pratap Gopendra, Commandant 4th Battalion, P.A.C., Prayag Raj to the extent of 50% each, which they will remit in the first instance in account of the learned Registrar General who will then transfer it to the petitioner. In the event, the costs are not deposited, the Registrar General shall cause it to be recovered as arrears of land revenue from the two respondents above mentioned."

(ii) मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट (ए) याचिका संख्या:8447/2024 सुभाष सिंह बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में दिनांक 30.02.2024 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :--

The order directing recovery of the petitioner is contrary to law in light of the judgement of the Supreme Court in State of Punjab and Others Vs. Rafiq Masih (White Washer) and Others, reported in (2015) 4 SCC 334. The order dated 5.4.2024 passed by the Superintendent of Police,

Mirzapur directing recovery of alleged excess payment to the petitioner is hereby quashed.

The Superintendent of Police, Mirzapur is directed to refund Rs.5,08,911/- along with 6% simple interest per annum to the petitioner within one month from today and in any case by 30.6.2024. The retiral dues shall also be released in favour of the petitioner by 30.6.2024.

However, it is clarified that future pension shall be paid to the petitioner on the basis of the salary re-fixed by the authorities.

With the aforesaid directions, the petition is allowed."

- (iii) मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट (ए) याचिका संख्या:8226/2024 कुशल पाल सिंह बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में दिनांक 23.05.2024 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :--

The recovery of excess payment from the petitioner is contrary to law in light of the judgement of the Supreme Court in State of Punjab and Others Vs. Rafiq Masih (White Washer) and Others, reported in (2015) 4 SCC 334.

The Chief Treasury Officer, Lalitpur, District Lalitpur is directed to refund to the petitioner Rs.1,71,000/- along with 6% simple interest per annum within a period of one month from today and, in any case, by 30th June, 2024 and no further recovery shall be made from the salary or other dues of the petitioner because of alleged excess payment made to him as salary while in service.

However, it is clarified that future payment shall be made to the petitioner on the basis of the salary re-fixed by the authorities.

With the aforesaid directions, the petition is allowed."

- 7- उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाय:--

- (i) वित्त विभाग के पत्र संख्या-60/2016-वे०आ०-2-1375/दस-2016, दिनांक 21.11.2016 के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाय कि दिनांक 21.11.2016 के पूर्व के ऐसे प्रकरण जिनमें प्रोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० एवं अन्य लाभ प्राप्त होने पर वेतन निर्धारण किये गये हों, उनमें कार्मिक से संलग्न प्रारूप पर इस आशय की सहमति पत्र/अण्डरटेकिंग आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाय कि यदि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन के फलस्वरूप देयता से अधिक भुगतान हो गया हो तो सम्बन्धित कार्मिक के देयकों से वसूली/समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

इसी प्रकार दिनांक 21.11.2016 से इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तक के ऐसे प्रकरण जिनमें प्रोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० एवं अन्य लाभ प्राप्त होने पर वेतन निर्धारण किये गये हों, परन्तु सम्बन्धित कार्मिक से संलग्न प्रारूप पर सहमति पत्र/अण्डरटेकिंग प्राप्त नहीं किया गया है, तो उनसे भी इस आशय की सहमति पत्र/अण्डरटेकिंग आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाय कि यदि त्रुटिपूर्ण वेतन

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- निर्धारण/आगणन के फलस्वरूप देयता से अधिक भुगतान हो गया हो तो सम्बन्धित कार्मिक के देयकों से वसूली/समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा अपने विभागों के कार्यालयाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाय कि वेतन निर्धारण के प्रारूप, जिसका सहमति पत्र/अण्डरटेकिंग एक अनिवार्य एवं अविभाज्य अंश होगा, को कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कार्मिक के प्रत्येक वेतन निर्धारण के अवसर पर सेवा पुस्तिका में सम्बन्धित कार्मिक के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करते हुए सेवा पुस्तिका में यथास्थान संलग्न किया जाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी सेवा सम्बन्धी विवरण एवं सहमति पत्र को वेतन निर्धारण के प्रारूप का अंग बनाया जाना संलग्न प्रारूप के अनुसार सुनिश्चित करेंगे।
- (iii) समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा सेवा सम्बन्धी विवरण एवं सहमति पत्र को वेतन निर्धारण के प्रारूप का अंग बनाते हुए कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं देयों के आगणन की जांच आवश्यक रूप से उसी वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण करायी जाये।
- (iv) ये भी निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश में संलग्न प्रारूपानुसार वेतन निर्धारण एवं सहमति पत्र सेवा पुस्तिका में संलग्न होते हुए भी त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/देयों के आगणन की जांच में कदाशयता सिद्ध होने पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी/वित्त नियंत्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी व सम्बन्धित कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन का लाभ प्राप्त करने वाले कार्मिक से वसूली/समायोजन न हो पाने की दशा में अधिक भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- (v) शासनादेश में संलग्न प्रारूप के अनुसार सेवा सम्बन्धी विवरण एवं सहमति पत्र को वेतन निर्धारण के प्रारूप एवं सेवापुस्तिका का अंग न बनाये जाने की दशा में अधिक भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से उक्त धनराशि की वसूली/समायोजन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये।
- (vi) विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति द्वारा मुख्यतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप वसूली सम्बन्धी प्रकरणों का अनिवार्यतः मासिक तथा शासन के आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा त्रैमासिक अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुए त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक - वेतन निर्धारण का प्रारूप।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

मुख्य सचिव।

संख्या-2/2025/वे0आ0-2-77(1)/दस-2025-ई0प0क0सं0-1846680, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

- 1- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 3- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 4- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 5- श्री कुणाल रवि सिंह, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र दिनांक 30.08.2024 के क्रम में।
- 6- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ।
- 7- निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय/निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 9- उ०प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( दीपक कुमार )

अपर मुख्य सचिव।

संलग्नक

वेतन निर्धारण के प्रारूप के अभिन्न अंग

क- सेवा सम्बन्धी विवरण

- (1) कार्मिक की सीधी भर्ती का पद एवं संवर्ग
  - (2) नियुक्ति की तिथि
  - (3) नियुक्ति का प्रकार (नियमित/तदर्थ)
  - (4) सीधी भर्ती के पद पर स्थायी/विनियमित किये जाने का आदेश
  - (5) प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं अग्रतर पदोन्नति का पद एवं योगदान का दिनांक
  - (6) समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य किये गये लाभों का विवरण
  - (7) यदि नॉन फंक्शनल का लाभ अनुमन्य हुआ हो, तो उसका विवरण
  - (8) दिनांक 01.12.2008 की प्रास्थिति
  - (9) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए०सी०पी० के लाभ का विवरण
  - (10) उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त यथावश्यक सेवा-विवरण
- ख- सहमति पत्र/अण्डरटेकिंग

सहमति-पत्र

मैं यह सहमति प्रदान करता/करती हूँ कि यदि कार्यालय आदेश संख्या-..... दिनांक ..... समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० अथवा अन्य किसी मद ..... (उल्लेख किया जाय) में मेरे वेतन निर्धारण में किसी त्रुटि के कारण अथवा बाद में किसी असंगति के कारण अधिक भुगतान हो जाने की स्थिति पायी जाती है तो ऐसे अधिक किये गये भुगतान की धनराशि, सरकार द्वारा मुझे भविष्य में होने वाले भुगतानों में से समायोजन द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से, मेरे द्वारा वापस कर दी जायेगी।

दिनांक:.....

स्थान :.....

हस्ताक्षर : .....

(सम्बन्धित कार्मिक)

नाम.....

पदनाम.....

मेरे द्वारा उक्त कार्मिक को .....का लाभ शासनादेश..... दिनांक ..... के प्रस्तर-..... की व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारण एवं सहमति पत्र के सही होने की पुष्टि की जाती है।

हस्ताक्षर .....

(कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी)

दिनांक : .....

स्थान : .....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।